UPHR010023672022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 हरदोई।

पीठासीन अधिकारी-कुसुम लता (एच०जे०एस०)

(जे०ओ० कोड- यू०पी० 6303)

सत्र वाद संख्या-713/2022

राज्य ....अभियोजक

बनाम

1. सोनकली पत्नी श्रीकृष्ण,
2. मोनू पुत्र श्रीकृष्ण,
3. सोनम पत्नी सोनू,
4. मैकू पुत्र श्री केशन,
5. रिंकी पुत्री श्रीकृष्ण,

सर्व निवासी कंजड़पुरवा सवायजपुर, थाना लोनार, जिला हरदोई......................अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-254/2021

धारा-304/34, 323, 504, 506, भा०दं०सं०

थाना-लोनार, जिला-हरदोई।

-: निर्णय :-

1. अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, 34, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-254/2021, थाना लोनार, जिला हरदोई में विवेचक द्वारा प्रेषित किये गये आरोप पत्र (प्रदर्श क-6) के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रोहित कुमार द्वारा दिनांक 26.06.2021 को प्रार्थना पत्र/लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) इस आशय का थाना लोनार, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी रोहित कुमार पुत्र राकेश निवासी ग्राम कंजडपुरवा सवाइजपुर थाना लोनार जिला हरदोई का रहने वाला है। दिनांक 26.6.2021 को सुबह लगभग 8 बजे मेरी बेटी चाहत उम्र 3 वर्ष व भांजी इच्छा उम्र 4 वर्ष जो सोनकली पत्नी श्री केशन निवासी कंजडपुरवा थाना लोनार हरदोई के

Digitally signed by KUSUM LATA RATHORE
Date: 2026.04.02 10:35:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आम के बाग में चले गये थे, तो सोनकली उपरोक्त ने दोनों बच्चों को डाटा फटकारा और सडे गले आम दे दिये, इसका उरहना देने मेरी मम्मी सुनीता सोनकली यहाँ गयी इसी बात को लेकर सोनकली, मोनू, सोनम, मौकू व रिंकी व कई अज्ञात लोगों ने मेरी मम्मी सुनीता को गाली–गलौज किया तथा एक–राय होकर लाठी डन्डों से पीटकर अधमरा कर दिया। मम्मी के चीखने पर मैं व मेरे मामा मुल्लू पुत्र दिवारी निवासी कंजडपुरवा सवाइजपुर दौड़ कर उनको बचाने पहुंचे, तो हमे भी सभी लोगों ने लाठी डन्डा से मारा पीटा जिससे हमारे चोटें आयी और सभी ने कहा कि काम तमाम कर दिया और सभी लोग मोहल्ले के हमे बचाने लगे तथा विपक्षीगण गालियां व जान से मारने धमकी देते हुए भाग गये। मैंने जिनको पहचाना है उनका नाम बताया है और सामने आने पर पहचान लेंगे। मैं व मेरे मामा मुल्लू अपने मम्मी को उठा कर मोटरसाईकिल पर बैठा कर सी०एच०सी० सवायजपुर ले गये। वहां से जिला अस्पताल हरदोई को रिफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गयी। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3. वादी मुकदमा रोहित कुमार द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू, रिंकी व कई लोग अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 254/2021, अन्तर्गत धारा 304, 34, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी एफ०आई०आर० प्रदर्श क–3 है, जिसका खुलासा रपट संख्या 37 समय 19.50 बजे दिनांक 26.06.2021 को जी०डी० में किया गया, जो शामिल पत्रावली प्रदर्श क–4 के रूप में है।

4. विवेचक द्वारा मामले के तथ्यों से संबंधित गवाहों का साक्ष्य लिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी प्रदर्श क–5 तैयार किया गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी के विरूद्ध धारा 304, 34, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप पत्र प्रदर्श क–6 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हरदोई के द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–6 पर दिनांक 13.08.2021 को प्रसंज्ञान लेकर तथा अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी की उपस्थिति सुनिश्चित करके पुलिस प्रपत्रों की प्रतियां तैयार करायी गयी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के उपबन्धों के अनुपालन में अभियुक्तगण को प्राप्त कराया गया। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, जिस कारण मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय में दिनांक 30.04.2022 को उपार्पित किया गया।

6. तत्पश्चात अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (14वीं वित्त), हरदोई द्वारा अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी के विरुद्ध दिनांक 06.06.2022 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/34, 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से **कुल 05 मौखिक साक्षियों** का परीक्षण कराया गया जिनका विवरण निम्नांकित है :–

क्र०सं०	अभियोजन साक्षी संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम
1	पी०डब्लू०–1	वादी मुकदमा रोहित कुमार
2	पी०डब्लू०–2	राहुल
3	पी०डब्लू०–3	राकेश
4	पी०डब्लू०–4	शिवा
5	पी०डब्लू०–5	डॉ० प्रदीप कुमार

8. अभियोजन की ओर से **प्रलेखीय साक्ष्य** के रूप में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गयाः–

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र
1	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	प्रदर्श क–2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3	प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4	प्रदर्श क–4	जी०डी० कायमी
5	प्रदर्श क–5	नक्शानजरी
6	प्रदर्श क–6	आरोपपत्र
7	प्रदर्श क–7	पंचायतनामा
8	प्रदर्श क–8	चिट्ठी RI
9	प्रदर्श क–9	चिट्ठी CMO
10	प्रदर्श क–10	पुलिस प्रपत्र संख्या–13
9	प्रदर्श क–11	फोटो लाश
10	प्रदर्श क–12	नमूना मोहर शव

9. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3,

जी०डी० प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–5, आरोप प्रदर्श क–6, पंचायतनामा प्रदर्श क–7, चिट्ठी आर०आई० प्रदर्श क–8, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–9, पुलिस फार्म संख्या 13 प्रदर्श क–10, फोटो लाश प्रदर्श क–11, नमूना मोहर प्रदर्श क–12 की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लिये जाने के कारण अन्य औपचारिक साक्षियों को तलब नहीं किया गया।

10. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 1 रोहित कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जो प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं आज अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड सं० 887024333193 साथ लेकर आया हूँ, जिसकी फोटो प्रति पर हस्ताक्षर करके दाखिल कर रहा हूँ। हाजिर अदालत अभियुक्त सोनकली, मोनू रिंकी को जानता पहचानता हूँ तथा सोनू, मैकू को भी जानता व पहचानता हूँ। यह सभी लोग कंजडपुरवा सवायजपुर, थाना लोनार जिला हरदोई के रहने वाले हैं। सोनम व मैकू आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। घटना आज से 2 वर्ष 1 माह पूर्व सुबह 8 बजे सुबह की है। मैं अपनी माँ सुनीता के साथ घर पर मौजूद था। तभी कुछ शराबी व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़े के शोर पर मैं व मेरी माँ सुनीता घर के बाहर आये। उस समय मेरे घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मैंने व मेरी माँ ने इन लोगों को लड़ने से रोका, इसी बीच भीड़ में से किसी व्यक्ति ने ईटा पत्थर चलाये। वह ईंटा पत्थर मेरी माँ के सिर में लग गया था, जिससे मेरी माँ सुनीता वहीं भीड़ में गिर गयी थी। माँ सुनीता को बचाने के लिए मैं भी आगे आया था। भीड़ की धक्का–मुक्की में मेरे गिरने से मेरी भी अंगूठे में चोट आ गयी थी। मैं व मेरे रिश्तेदार मुल्लू अपनी मां को मोटरसाइकिल से सी०एच०सी० सवायजपुर ले गये थे। मेरी माँ के चोट ज्यादा लगने के कारण उनको जिला चिकित्सालय हरदोई रेफर किया गया था। दौरान इलाज मेरी माँ जिला अस्पताल हरदोई में खत्म हो गयी थी, मेरी माँ का पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर बनवाये गये थे। इस घटना के कुछ दिन पूर्व मेरी माँ की सोनकली के बीच बच्चे को लेकर कहा–सुनी हुई थी। मेरे गाँव के कुछ लोग मेरे साथ रिपोर्ट लिखवाने मेरे साथ थाने गये थे। गाँव के लोग ही एक प्रार्थना पत्र लिखवाकर लाये थे, उस पर मैंने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर बना दिये थे। इसी प्रार्थना पत्र पर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। साक्षी को प्रार्थना पत्र कागज़ संख्या 3अ/3 दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया, तो उसने उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की और कहा मैंने इसमें जो घटना लिखी है, वैसी बात नहीं बतायी थी। जिस पर प्रदर्श–1 डाला गया। मेरी माँ का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल हरदोई में हुआ था। पुलिस वाले ने इस घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 2 राहुल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा आधार कार्ड सं० 200166636891 है, जिसकी फोटोप्रति पर अंगूठा लगाकर दाखिल कर रहा हूँ। हाजिर अदालत अभियुक्तगण सोनकली, मैकू, सोनू को तथा सोनम व रिंकी को जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, को जानता पहचानता हूँ। यह मेरे ही गांव के कंजडपुरवा, थाना लोनार के रहने वाले है। घटना आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व सुबह 8 बजे की है।

मैं अपनी माँ सुनीता के साथ घर पर मौजूद था। तभी कुछ शराबी व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। झगड़े के शोर पर मैं, मेरी माँ सुनीता व रोहित घर के बाहर आये। उस समय दरवाजे पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। हम लोगों ने उन लोगों को रोका तभी भीड़ में से किसी ने ईंटा पत्थर चलाये। मेरी मां के सिर में ईंटा पत्थर लग गया था। जिससे मेरी माँ वहीं गिर गयी थी तथा बेहोश हो गयी थी। हम लोग व मेरे रिश्तेदार मुल्लू अपनी माँ को सी०एच०सी० सवायजपुर ले गये थे। मेरी माँ चोट लगने के कारण हरदोई रेफर कर दिया गया था। हरदोई अस्पताल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के कुछ दिन पूर्व मेरी माँ सुनीता की सोनकली के बीच बच्चों को लेकर कुछ कहा–सुनी हो गयी थी। इसी रंजिश के कारण मेरे गांव के कुछ लोगों के सिखाने बताने पर मेरे भाई रोहित ने थाने पर तहरीर दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। इस घटना में नामित अभियुक्तगण ने मेरे सामने मेरी माँ को कोई चोट नहीं पहुंचायी। अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 3 राकेश** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा आधार कार्ड सं० 70489609055 है, जिसकी छायाप्रति पढ़कर मूल से मिलान कर दाखिल कर रहा हूँ। मुल्जिम सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी को मैं जानता पहचानता हूँ। यह मेरे गाँव कंजडपुरवा सवायजपुर के रहने वाले हैं। आज से करीब 2½ साल पहले मुझे व मेरी पत्नी सुनीता से मारपीट नहीं हुई थी। मेरे घर के चौराहे पर काफी भीड़ थी, जिसमें आपस में झगड़ा होने से मेरी पत्नी सुनीता के चोटें आयी थी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। मेरी पत्नी का पंचायतनामा हुआ था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर बनवाये गये थे। साक्षी ने पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 7अ/1 व 7अ/2 देखकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिये थे। अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 4 शिवा** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा आधार कार्ड सं० 972365311523 है, जिसकी फोटोप्रति पर हस्ताक्षर करके दाखिल कर रहा हूँ। हाजिल अदालत मुल्जिम सोनकली, मोनू व मौकू को जानता पहचानता हूँ। मुल्जिमान सोनम व रिंकी को भी जानता पहचानता हूँ, जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हूँ। आज से सवा तीन साल पहले सुबह 8 बजे की घटना है। मेरे सामने मुल्जिमान उपरोक्त ने सुनीता को मारापीटा नहीं था। सुनीता की मृत्यु हुई थी। जिसका मेरे सामने हुआ था। पंचायतनामा में मेरी राय नहीं ली गयी थी। घटना के समय मैं मौजूद नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि सुनीता की मौत कैसे हुयी। सुनीता की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को कागज संख्या 7अ/2 व 7अ/3 दिखाया गया, तो साक्षी ने निशानी अंगूठा की पुष्टि की। अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. अभियोजन की ओर से **बतौर पी०डब्लू० 5 डॉक्टर प्रदीप कुमार** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 26/06/21 को मेरी तैनाती जिला

अस्पताल हरदोई में थी, उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन मैनें मृतका सुनीता पत्नी राकेश निवासी सवायजपुर थाना, लोनार जिला हरदोई उम्र लगभग 50 वर्ष का शव 09 पुलिस प्रपत्रों सहित शील्ड हेतु बॉडी जिसे कोतवाली शहर जिला हरदोई के पास पोस्टमार्टम हेतु कांस्टेबल उत्तम पाण्डेय व महिला कांस्टेबल दामिनी द्विवेदी कोतवाली शहर हरदोई लाए थे तथा इन लोगों ने शव की शिनाख्त की थी। मृतका सुनीता का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा समय 5:10 PM पर शुरू किया गया था तथा 5:40 PM पर समाप्त किया गया। मृतका जिला अस्पताल हरदोई में 26.06.21 को (11:20 मिनट A.M.) पर मृत अवस्था में लायी गयी जिसमें Vide Inclusion No–04 है। मृतका की ऊंचाई 152 cm तथा शारीरिक बनावट मध्यम व औसत काठी की थी।

<u>पहने हुए वस्त्रों का विवरण</u>– कुर्ता, सलवार, ब्रा, एक माला, तीन कंगन। शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन, शरीर के पिछले हिस्से पर PM staining present था, अदृश्य शरीर के ऊपरी हिस्से पर थी।

<u>बाह्य सामान्य दिखावट</u>– महिला औसत कद काठी की थी, जिसकी दोनों आंखें बंद थी व मुँह हल्का खुला था, सिर व दाहिने हांथ पर अस्पताली पट्टी बंधी थी।

<u>मृतक के आयी चोटें</u>:–

<u>चोट नं०– 01:</u> फटा हुआ घाव 7 cm x 2.5 cm x हड्डी के अन्दर तक, शरीर के ऊपरी हिस्से पर उपस्थित था। जिसे खोलने पर सिर की हड्डी टूटी थी, पूरे दिमाग पर "सबड्यूरल हेमेटोमा" दिमाग पर उपस्थित था।

<u>चोट नं०– 02</u>: फटा हुआ घाव 3 cm x 1.5 cm दाहिने हाथ की कलाई में नीचे उपस्थित था। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम व झिल्लियां कंजेस्टेड हैं। प्लूरा कंजेस्टेड, दाहिना फेफड़ा 400 gram, बायां फेफड़ा 370 gram दोनों कंजेस्टेड हैं। हृदय का दाहिना चेम्बर भरा हुआ, व बायां चेम्बर खाली था। हृदय का वजन 190 gram था। आमाशय में CML पचा हुआ भोजन पाया गया व छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैस थी, बड़ी आंत में मल व गैसें मौजूद था। यकृत का वजन 1200 ग्राम कंजेस्टेड, पित्ताशय आधा भरा हुआ था व प्लीहा 90 ग्राम कंजेस्टेड था। मृत्यु का संभावित समय लगभग 1/3 of day था। मृत्यु का तात्कालिक कारण कोमा, मृत्यु की वजह हेड इंजरी है, जो कि मृत्यु को कारित करने के लिए पर्याप्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की 09 पुलिस प्रपत्रों सहित 03 सीलबंद लिफाफों में पैक कर कांस्टेबल उत्तम पाण्डेय कोतवाली शहर जिला हरदोई के सुपुर्द की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 07अ/10 से लेकर 07अ/13 है। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था।

15. बाद अभियोजन साक्ष्य समाप्ति अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 05.02.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, का कथन किया है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार के बयान के संबंध में *"कुछ नहीं"* का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 राहुल के बयान के संबंध में *"कुछ नहीं"* का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 राकेश के बयान के संबंध में

"कुछ नहीं" का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 4 शिवा के बयान के संबंध में *"कुछ नहीं"* का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 डॉक्टर प्रदीप कुमार के बयान के संबंध में *"कुछ नहीं"* का कथन किया है। स्वयं के विरुद्ध मुकदमा झूठा एवं रंजिशन चलने का कथन किया है तथा स्वयं को निर्दोष होने तथा कोई अपराध कारित नहीं किये जाने का भी कथन किया गया है।

16. दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कहा कि अभियोजन साक्षियों ने न्यायालय में अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रोहित कुमार, उसकी माता सुनीता एवं उसके मामा मुल्लू के साथ सामान्य आशय के अग्रसारण में लाठी डंडों से मारापीटा, जिससे वादी की माता सुनीता की मृत्यु हो गयी। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन कथानक, अभियोजन साक्षियों के अतिरिक्त पंचायतनामा, शव विच्छेदन आख्या से भी साबित है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप के लिए दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

17. दौरान बहस बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार, पी०डब्लू० 2 राहुल, पी०डब्लू० 3 राकेश, पी०डब्लू० 4 शिवा द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया नहीं किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं। प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा विश्वसनीय नहीं है एवं अभियोजन अन्य कोई विश्वसनीय साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका है, जो कि वादी मुकदमा के कथनों की सम्पुष्टि कर सके। अभियोजन साक्षियों के बयानों में घोर विरोधाभास है। अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेहों से परिपूर्ण है। अतः अभियुक्तगण इस मामले में दोषमुक्ति का हकदार है।

18. उभय पक्षों के तर्को के आधार पर इस मामले में निम्न **<u>अवधार्य प्रश्न</u>** उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी सिंह के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 304/34, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्ति संदेह से परे साबित है अथवा नहीं।

19. **धनपाल बनाम स्टेट 2009 (62) ए0सी0सी0 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि <u>अपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करें तथा न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि जैसा अभियोजन का कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी भी प्रकार के अभिवृद्धि या सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।</u> जैसा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करें और यदि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व में विफल रहता है कि तो उसका लाभ अभियुक्तगण को मिलना चाहिये।

<u>उभय पक्ष के तर्क, साक्ष्य का विश्लेषण व न्यायालय का निष्कर्षः–</u>

20. **न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला**

शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व प्रपत्रों का सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

21. सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर के अनुसार, घटना दिनांक 26.06.2021 की सुबह करीब 8:00 बजे की है। वादी की पुत्री चाहत और भांजी इच्छा, अभियुक्त सोनकली के आम के बाग में गई थीं, जहाँ सोनकली ने बच्चों को डांटा और सड़े हुए आम दिए। जब वादी की माता सुनीता इस बात का उलाहना देने वहां पहुँचीं, तो अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मौकू, रिंकी व अन्य ने उन्हें मां–बहन की गालियां दीं और लाठी–डंडों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच–बचाव करने पहुंचे वादी और उसके मामा मुल्लू को भी विपक्षियों ने मारपीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर स्थिति में वादी की माता सुनीता को सी०एच०सी० सवायजपुर ले जाया गया, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल, हरदोई रिफर कर दिया गया। अस्पताल पहुँचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी रोहित कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू, रिंकी व कई लोग अज्ञात के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं 304, 34, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी के विरूद्ध धारा 304, 34, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तहरीर तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। घटना की सूचना और कानूनी कार्यवाही तत्परता के साथ की गई है।

22. साक्षी पी०डब्लू०–1 रोहित कुमार (वादी मुकदमा) ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मूल कथानक को पूरी तरह नकार दिया है। जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डंडों से जानलेवा हमला करने का आरोप था, वहीं साक्षी ने न्यायालय के समक्ष घटना का स्वरूप बदलते हुए इसे "शराबियों का आपसी झगड़ा" और "अज्ञात भीड़" के बीच हुई घटना बताया है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी माता सुनीता को लगी चोट भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाए गए ईंट–पत्थर के कारण आई थी। उसने नामजद अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के तथ्य का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, जिससे इस अपराध में अभियुक्तगण की प्रत्यक्ष संलिप्तता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। साक्षी ने स्वयं को आई अंगूठे की चोट का कारण भी अभियुक्तगण द्वारा किया गया हमला न बताकर, "भीड़ की धक्का–मुक्की में गिरना" स्वीकार किया है। साक्षी ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को दिए गए बयानों और अपनी ही FIR का समर्थन नहीं किया, इसलिए अभियोजन के अनुरोध पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह के दौरान साक्षी ने कहा है कि घटना के समय मौके पर 50–60 लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। उसी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी माँ को ईंटा मारा था। साक्षी ने अभियुक्तगण या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को घटनास्थल पर मौजूद नहीं देखा था तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट केवल "पुराने विवाद" के कारण और "गाँव वालों के कहने पर" लिखवाई गई थी।

23. साक्षी पी०डब्लू०–2 राहुल ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट किया कि घटना के समय वह अपनी

माता सुनीता और भाई रोहित के साथ घर पर था। उसके अनुसार, दरवाजे पर शराबियों के आपसी झगड़े और शोर–शराबे के कारण भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाए गए ईंट–पत्थर से उसकी माता के सिर में चोट आई, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी ने जिरह में कहा है कि नामित अभियुक्तगण ने उसके सामने उसकी माता को कोई चोट नहीं पहुँचाई। जिरह के दौरान उसने यह भी पुष्ट किया कि घटना के समय मौके पर मौजूद 50–60 लोगों की भीड़ में उसने अभियुक्तगण या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को घटनास्थल पर नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना से कुछ दिन पूर्व उसकी माता और सोनकली के बीच बच्चों को लेकर कहा–सुनी हुई थी। इसी पुरानी रंजिश के कारण और गाँव वालों के उकसावे/सिखाने पर उसके भाई रोहित ने अभियुक्तगण के विरुद्ध थाने में तहरीर दी थी।

24. साक्षी पी०डब्लू० 3 राकेश व साक्षी पी०डब्लू० 4 शिवा ने अपने–अपने मुख्य बयान में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को मृतक सुनीता के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा। पी०डब्लू०–3 राकेश, जो मृतका का पति है, ने स्पष्ट किया कि उसकी पत्नी के साथ अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की थी, बल्कि चौराहे पर मौजूद अज्ञात भीड़ के आपसी झगड़े में उसे चोटें आई थीं। पी०डब्लू०–4 शिवा ने भी गवाही दी कि उसके सामने अभियुक्तगण ने सुनीता को नहीं मारा–पीटा और उसे मृत्यु के वास्तविक कारण की जानकारी नहीं है। साक्षी पी०डब्लू० 3 राकेश के अनुसार घटना का कारण "भीड़ का आपसी झगड़ा" था, जबकि साक्षी पी०डब्लू० 4 शिवा ने स्वयं को घटना के समय मौके पर मौजूद न होना बताया है। दोनों ही साक्षियों के बयान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 'लाठी–डंडों से जानलेवा हमले' की कहानी का पूर्णतः खंडन करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण साक्षियों ने अभियोजन के मुख्य कथानक और अभियुक्तगण की संलिप्तता को पूरी तरह नकार दिया, इसलिए अभियोजन के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा उन्हें 'पक्षद्रोही' घोषित किया गया है।

25. साक्षी पी०डब्लू० 5 डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मुख्य बयान में कहा है कि मृतका को 26.06.2021 को प्रातः 11:20 AM पर मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। शव की दोनों आँखें बंद और मुँह हल्का खुला था। सिर और दाहिने हाथ पर चिकित्सकीय पट्टियाँ बँधी थीं। चोट नं० 1 सिर के ऊपरी हिस्से पर 7cm x 2.5cm का गहरा फटा हुआ घाव जिससे सिर की हड्डी टूटी हुई थी और दिमाग पर "सबड्यूरल हेमेटोमा" (रक्त का थक्का) मौजूद था। चोट नं० 2 दाहिने हाथ की कलाई के नीचे 3cm x 1.5cm का फटा हुआ घाव तथा मस्तिष्क, फेफड़े और यकृत 'कंजेस्टेड' पाए गए। हृदय का दाहिना हिस्सा भरा हुआ और बायां खाली था। मृतका की मृत्यु का तात्कालिक कारण कोमा था। सिर की गंभीर चोट (Head Injury), जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग 1/3 दिन (करीब 8–10 घंटे) पूर्व हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि मृतका की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि सिर पर किसी ठोस वस्तु (जैसे ईंट या डंडा) के प्रहार से लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी। मृत्यु का संभावित समय (सुबह के लगभग 8–9 बजे)

घटना के समय (सुबह 8:00 बजे) से मेल खाता है।

26. जहाँ एक ओर डॉक्टर की रिपोर्ट "गंभीर चोट" से मृत्यु की पुष्टि कर रही है, वहीं दूसरी ओर सभी साक्षीगण पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 पहले ही 'पक्षद्रोही' हो चुके हैं और उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा चोट पहुँचाने से इनकार किया है। चिकित्सीय साक्ष्य यह तो सिद्ध करता है कि सुनीता की मृत्यु 'अपराधिक मानव वध' है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के पक्षद्रोही हो जाने के कारण यह साबित करना कठिन हो गया है कि यह चोटें इन्हीं अभियुक्तगण ने मारी थीं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 2514/2013 निर्णय दिनांकित 20 अक्टूबर, 2023** में यह अभि–निर्धारित किया है कि यदि चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं और चिकित्सीय साक्ष्य (Medical Evidence) केवल मृत्यु का कारण स्पष्ट करता है न कि अपराधी की पहचान, तो अभियुक्त को मात्र संदेह के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, जी०डी० प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–5, आरोप प्रदर्श क–6, पंचायतनामा प्रदर्श क–7, चिट्ठी आर०आई० प्रदर्श क–8, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–9, पुलिस फार्म संख्या 13 प्रदर्श क–10, फोटो लाश प्रदर्श क–11, नमूना मोहर प्रदर्श क–12 की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गयी है, किन्तु औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लिये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ नहीं माना जा सकता। अभियोजन को अपना कथानक स्वयं साबित करना होता है।

28. हस्तगत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तथ्य के मुख्य साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी रोहित कुमार, पी०डब्लू०–2 राहुल, पी०डब्लू०–3 राकेश और पी०डब्लू०–4 शिवा ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में अभियोजन के मूल कथानक का समर्थन करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। इन सभी चश्मदीद गवाहों ने निर्विवाद रूप से अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी की घटना में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से स्पष्ट इनकार किया है। साक्षियों के अनुसार, मृतका सुनीता को लगी चोट किसी पूर्व नियोजित हमले का परिणाम न होकर, घटनास्थल पर मौजूद एक "अज्ञात भीड़ के आपसी झगड़े" और पत्थरबाजी का परिणाम थी। साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट केवल पुरानी रंजिश और ग्रामीणों के कहने पर लिखवाई गई थी। तथ्य के किसी भी गवाह के बयान से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध (धारा 304/34, 323, 504, 506 भा०दं०सं०) साबित नहीं होता है, अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला 'युक्ति–युक्त संदेह से परे' साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके विपरीत, गवाहों के बयानों से अभियुक्तगण के बचाव पक्ष को ही बल मिला है। अतः संदेह का लाभ" देते हुए, अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी को दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

29. साक्षीगण पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार, पी०डब्लू० 2 राहुल, पी०डब्लू० 3

राकेश व पी०डब्लू० 4 शिवा ने बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का समर्थन नहीं किया है तथा वे पक्षद्रोही हो गये हैं। वादी मुकदमा जिसने अभियोग पंजीकृत कराया है, ने या तो गलत तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया है या न्यायालय में झूठा बयान दिया है। इस कारण पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार के विरूद्ध धारा–383 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार के विरूद्ध धारा–383 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किये जाने योग्य है।

:–आदेश:–

30. सत्र वाद संख्या 713/2022, मुकदमा अपराध संख्या 254/2021, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सोनकली आदि, धारा 304/34, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना लोनार, जिला हरदोई के प्रकरण में अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी को दोषमुक्त किया जाता है।

31. अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

32. प्रत्येक अभियुक्तगण सोनकली, मोनू, सोनम, मैकू व रिंकी अन्दर 15 दिन, धारा–481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उपरोक्त प्रकरण में 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करे। अभियुक्तगण की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 में दाखिल किये जाने वाले व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

33. पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा रोहित कुमार के विरूद्ध धारा 383 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस निर्गत किया जाये।

दिनांक–01.04.2026 **(कुसुम लता)**

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–1, हरदोई।

34. आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–01.04.2026 **(कुसुम लता)**

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–1, हरदोई।